

दिनांक 30.01.2025 को उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, डी०एम०एफ०टी०, लातेहार की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT) के न्यास परिषद की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति- पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, डी०एम०एफ०टी०, लातेहार के द्वारा सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, डी०एम०एफ०टी०, लातेहार के द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को दिनांक 17.01.2025 को प्रबंधकीय समिति से अनुमोदित प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। तदुपरान्त प्रभारी पदाधिकारी, डी०एम०एफ०टी०, लातेहार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में संचालित किये जाने वाले विभिन्न योजनाओं को संक्षिप्त रूप से अवगत कराया गया।
2. प्रभारी पदाधिकारी, डी०एम०एफ०टी०, लातेहार के द्वारा बताया गया कि जिले में वित्तीय वर्ष 2016-2017 से 2024-2025 तक विभिन्न प्रक्षेत्र के कुल 1396 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है जिनमें से विभिन्न एजेंसियों के द्वारा 840 योजनाओं को पूर्ण करा लिया गया है शेष योजनाओं का कार्य प्रगति पर हैं।

सदन द्वारा सर्वसम्मति से लंबित योजनाओं का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी०एम०एफ०टी०, लातेहार/संबंधित कार्यकारी एजेंसी, लातेहार जिला)

3. डी०एम०एफ०टी० के नये दिशानिर्देश में प्रमुख संशोधनों के आलोक में खदानों की सीमा से 15 कि०मी० को प्रत्यक्ष क्षेत्र एवं खदानों की सीमा से 25 कि०मी० को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त है। जिसे सदन द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई। प्रखण्ड गारु के पंचायत बारेसाढ़ एवं धांगरटोला में भी आवश्यकता अनुसार योजनाओं का क्रियाव्ययन कराने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। (प्रभावित क्षेत्रों की सूची संलग्न)

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी०एम०एफ०टी०, लातेहार)

4. स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए जिन जिलों में वार्षिक संग्रह 10 करोड़ या उससे अधिक की राशि प्राप्त हो रही हो तो वार्षिक प्राप्तियों का 10% तक की राशि स्थायी निधि के रूप में रखा जाना है। स्थायी निधि को सरकारी प्रतिभूतियों/बॉण्ड और अनुसूचित बैंकों की एफडी और राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य संरथाओं में 10% निवेश किये जाने हेतु प्रस्ताव को सदन द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी०एम०एफ०टी०, लातेहार)

5. बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा दो प्रमुख खनन पट्टाधारी श्री अरविन्द कुमार ठाकुर (GM, DVC तुबेद) एवं श्री सदाला सत्यनारायण (परियोजना निदेशक, मगध माइंस) को सदन द्वारा सर्वसम्मति से नामित किया गया।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी०एम०एफ०टी०, लातेहार)

6. डी०एम०एफ०टी० मद अन्तर्गत सभी प्रक्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु वार्षिक कार्य योजना (Annual action plan) एवं अगले पाँच वर्षों का Five Years Perspective Plan बनाने हेतु सदन के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी०एम०एफ०टी०, लातेहार)

7. डी०एम०एफ०टी० अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 का Annual Report एवं Audit Report के संदर्भ में सदन के सदस्यों को अवगत कराया गया। जिसे सदन के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(अनुपालन : डी०एम०एफ०टी०, पी०एम०यू०, लातेहार)

8. सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि डी०एम०एफ०टी० अन्तर्गत सभी गतिविधियों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने, भविष्य में खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रों में वृद्धि होने इत्यादि पर प्रबंधकीय समिति से अनुमोदन किया जा सकेगा तथा होने वाले आगामी व्यास परिषद् की बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया जायेगा।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी०एम०एफ०टी०, लातेहार)

9. जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट, लातेहार के व्यास परिषद् की बैठक में खनन प्रभावित क्षेत्र में जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में अंकित है तथा विद्यालयों में अध्ययनरत 18 वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्राओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों को भी व्यक्तिगत रूप से खनन प्रभावित माना जायेगा, जिसे माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी०एम०एफ०टी०, लातेहार)

10. कार्यालय, डी०एम०एफ०टी०, लातेहार में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिला अन्तर्गत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम सभा से विभिन्न प्रक्षेत्र के योजनाओं का प्रस्ताव प्राप्त है, उक्त प्राप्त प्रस्ताव में जनउपयोगी एवं महत्वपूर्ण सभी योजनाओं के प्रस्ताव को समिति द्वारा गहन समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से क्रियान्वित कराने हेतु अनुमोदन किया गया। (Annexure-A के रूप में संलग्न)

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के गहन समीक्षोपरान्त उक्त योजना को सदन द्वारा सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रियान्वित कराने हेतु अनुमोदित किया गया।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी०एम०एफ०टी०, लातेहार)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

७५/१

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,
डी०एम०एफ०टी०, लातेहार।

ज्ञापांक 80/डी०एम०एफ०टी० दिनांक... 31/01/2025

प्रतिलिपि :- डी०एम०एफ०टी० न्यास परिषद के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी कार्यकारी एजेंसी, लातेहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

७५/१

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,
डी०एम०एफ०टी०, लातेहार।